उ0प्र0 शासन
लोक निर्माण अनुभाग-11
संख्या-122/2026/I/1274716/2026/23-11099(099)/445/2025
लखनऊ, दिनांक 20-03-2026

शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-109/2026/I/1264789/2026/23-11099(099)/445/2025, दिनांक 13-03-2026 द्वारा जनपद कौशाम्बी में लालगंज-मंझनपुर-मऊ मार्ग के चैनेज 52.852 में 54.652 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 1.800 कि0मी0) की लागत रू0 974.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल रू0 400.00 लाख की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है। उक्त शासनादेश का वास्तविक दिनांक "13-03-2026" के स्थान पर टंकण त्रुटिवश दिनांक "13-03-2025" अंकित हो गयी है।

अतः उक्त शासनादेश पर अंकित दिनांक "13-03-2025" के स्थान पर शासनादेश का दिनांक "13-03-2026" अंकित पढ़ा एवं समझा जाय।

2- उक्त शासनादेश संख्या-109/2026/I/1264789/2026/23-11099(099)/445/2025, दिनांक 13-03-2026 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 13-03-2026 की शेष विवरण, शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in